संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स - 2221641, ईमेल - cgayush@gmail.com

---

क्रमांक STU-47/10/2025/UG Admission नवा रायपुर,दिनांक 07-11-2025

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन सूचना

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य के बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./ बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड काउंसिलिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2023 की कंडिका 5. के तहत आयुष पाठ्यक्रमों के समस्त रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित किया गया है।

अतः बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2025 में 50 पर्सेन्टाईल एवं उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी तथा अंग्रेजी विषयों सहित) उत्तीर्ण, पात्र एवं इच्छुक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं।

बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में सम्मिलित रूप से 50 प्रतिशत अंक तथा अंग्रेजी विषय सहित) उत्तीर्ण, पात्र एवं इच्छुक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं।

बी.ए.एम.एस. एवं बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक पंजीयन कराना होगा तथा बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से पंजीयन कराना होगा।

ऑनलाईन पंजीयन करने के पूर्व ‘‘छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2023‘‘ एवं सूचना पत्र (Information Bulletin) का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो वेबसाईट https://cgayush.admissions.nic.in में उपलब्ध है।

वे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं तथा जिन्हे कोई भी सीट आबंटित नहीं हुआ है, उन्हे स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु नवीन पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन काउंसिलिंग पोर्टल में लॉगिन कर विकल्प चयन करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम, द्वितीय अथवा मॉप-अप राउण्ड में कोई भी सीट आबंटित हुआ है, वे स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड हेतु अपात्र होंगे।

पंजीयन कार्यक्रम		
क्र.	विषय	विवरण
1	बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभ तिथि	दिनांक 10 नवम्बर 2025
2	बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए अंतिम तिथि	दिनांक 13 नवम्बर 2025, समय रात्रि 11:59 बजे तक
3	बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्था का चयन	दिनांक 10 नवम्बर 2025 से 13 नवम्बर 2025, समय रात्रि 11:59 बजे तक
4	ऑनलाईन आवेदन शुल्क (Non Refundable)	समस्त अभ्यर्थियों हेतु रू. 1500/- (रू. एक हजार पॉच सौ मात्र)

रिक्त सीटों के विवरण एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट https://cgayush.admissions.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है।

नोट:-

1. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। संबंधित संस्था हेतु भारत सरकार आयुष मंत्रालय/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/राज्य शासन द्वारा निर्धारित सीट संख्या अंतिम तथा मान्य होगी।
2. आयुष महाविद्यालयों जिन्हें भारत सरकार आयुष मंत्रालय/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/राज्य शासन से अनुमति/मान्यता तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं, उन्हीं महाविद्यालयों में काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
3. ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit करने के पश्चात् भी यदि ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु निःशुल्क Reset करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
4. महाविद्यालय आबंटन से पूर्व अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया जा रहा है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करते समय विशेष सावधानी रखें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी दिये जाने पर रजिस्ट्रेशन/आबंटन निरस्त किया जायेगा तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। इस संबंध में संचालक, आयुष का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
5. अभ्यर्थी आबंटन पत्र में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों के साथ दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश हेतु उपस्थित होवें।
6. दस्तावेज परीक्षण पश्चात् निर्धारित शैक्षणिक शुल्क जमा कर आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। शुल्क तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा।
7. सभी शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।

अतः किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के प्रलोभन में न फसें।

8. प्रवेश एवं काउंसिलिंग से संबंधित अन्य निर्देश/सूचना की अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 07-11-2025
16:32:20

आयुक्त
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़